न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00430 (313/2018) 225 आरटीएक्ट
हरलाल पुत्र बिरबलराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. नरेश कुमार पुत्र भोजाराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर ।

–रेस्पोडेण्ट्स

3. हरचन्द पुत्र स्व0 श्री बिरबल जाति जाट निवासी सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. दलीप
5. सावित्री
6. गुड्डी
7. निराणी

पुत्र पुत्रियॉ बीरबलराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

8. आशादेवी पत्नी स्व0 बीरबलराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खालसा तहसील रावसतर। –तरतीबी रेस्पोडेण्ट्

विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.06.2018 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्र. सं. 81/2017

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2

निर्णय दिनांकः– 09.10.2019

1. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि में उनका हक हिस्सा है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 काबिज चले आ रहे हैं। वे इस भूमि को खुर्द बुर्द करने को तत्पर हैं। इससे प्रार्थी के अधिकारों

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy – Not Official

पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने इस दिनांक 19.01.2017 को एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की एवं अप्रार्थी ने जवाब दावा पेश किया और दिनांक 12.06.2018 को अपीलाधीन आदेश के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला कन्फर्म करने का आदेश दिया है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि बीरबलराम की स्वअर्जित भूमि थी जिसकी उसने अपने तीन पुत्रों हरलाल, हरचन्द एवं दलीप के नाम रजिस्टर्ड वसीयत तहरीर करवा दी। वसीयत आज भी किसी न्यायालय ने निरस्त नहीं की है और आज भी प्रभावी है। वसीयत का राजस्व रिकार्ड में इंतकाल हो चुका है। अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि पर वसीयत के आधार पर खातेदार काश्तकार है। खातेदार कश्तकार होने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पिता भोजाराम ने प्रश्नगत भूमि में अपना कोई हक नहीं माना है और भविष्य में हक व हिस्सा या दावा नहीं करने का लिखित में आश्वासन दिया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अपने पिता भोजाराम द्वारा जो लिखित दिनांक 22.10.1983 को की गई उससे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अनुसार अस्टोपल्ड है। वह स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने अभियान में अपीलाण्ट को सुने बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाट को निर्णय से पूर्व कोई सूचना नहीं दी। अभियान में पत्रावली लेकर अपीलाण्ट को बिना सुने निर्णय पारित किया है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरट। 2016–17 पेज 566, आरआरटी 2006–07 सुप. पेज 59 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत आराजी बीरबलराम के नाम रिकार्ड में दर्ज है। बीरबलराम के फौत होने के बाद उस भूमि में उसके सभी वारिसान का हक हिस्सा है लेकिन उस भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 काबिज चले आ रहे हैं व प्रार्थी एवं इमरती देवी को जिनका 1/8 का हक हिस्सा है को इस भूमि से महरूम कर रहे हैं और प्रश्नगत भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। यदि अपीलाण्ट अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को अपूर्णीय क्षति होगी। उभयपक्षों को सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय पहले से ही ज्ञान था जानबूझकर कर अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है। विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट नरेश कुमार ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 19.01.2017 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। अप्रार्थी के उपस्थित आने पर पत्रावली वास्ते बहस चल रही थी। दिनांक 25.04.2018 की आदेशिका में यह अंकित है कि पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में आपसी सहमति/राजीनामा के आधार पर निस्तारण हेतु नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 12.06.2018 को पेश हो। दिनांक 12.06.2018 को अपीलाधीन आदेश के द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निषेधाज्ञा को ता फैसला वाद कन्फर्म किया गया है। उक्त आदेश में उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए हों या उनके द्वारा किसी प्रकार का राजीनामा आदि प्रस्तुत किया हो, ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है। जबकि आदेशिका दिनांक 25.04.2018 के अनुसार अभियान में राजीनामा एवं सहमति के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना था। आदेश में मात्र यह अंकित है कि पत्रावली राजस्व लोक अभियान न्याय आपके द्वारा कैम्प सरदारपुरा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल वाद के निर्णय तक इस प्रकरण में प्रार्थी के हक में पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला कन्फर्म किया जाना न्यायहित में है ताकि वाद की बहुलता नहीं हो। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह आदेश अपीलाण्ट को सुने बिना एवं एकपक्षीय पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। प्रकरण का निस्तारण उभयपक्ष को सुनकर निस्तारित किया जाना चाहिए था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.6.2018 निरस्त किया जाता है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.06.2018 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.11.26 11:39:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: